बिहारः नीतीश कुमार का लेखा-जोखा

यूपीः अफसरों से भिड़ते मेयर / **सेहतः** बच्चों में बढ़ता मोटापा

19 नवंबर, 2025 60 रुपए

इंडिया टुडे

CHAMPIONS 2025

महिला क्रिकेट

सारी धारणाएं ध्वस्त

विश्व कप की ऐतिहासिक विजय बनी महिला सशक्तीकरण के लिए निर्णायक पल

RNI NO. 45823/1986 REGISTRATION NO. DL(DS)-02/MP/2025-26-27, DL(ND)-11/6042/2024-25-26; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2024-26; FARIDABAD/46/2023-25 www.indiatodayhindi.com

CamScanner

एएनआइ

आंदोलन की आग आशा कार्यकर्ता अपने आंदोलन के सौवें दिन मशालों के साथ

ओर से हो रही आलोचना तक सीमित नहीं है. ऐसे में इसके इर्द-गिर्द का परिदृश्य कहीं ...रिल हो गया है.

...1 में राज्य ने चरम गरीबी से ...ा सर्वोच्च लक्ष्य घोषित किया ...में यह समस्या उतनी बड़ी नहीं ...ायोग के 2013 के अनुमान के मुताबिक, राज्य की कुल 3.33 करोड़ लोगों की आबादी का 0.55 फीसद इससे पीड़ित था. केरल के खुद के सर्वेक्षण में यह आंकड़ा उससे तकरीबन 80,000 कम निकला. राज्य के 1,032 स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) निकायों में फैले 64,006 परिवारों के कुल 1,03,099 लोग.

'अंतिम छोर के लोगों' के लिए

एलएसजी मंत्री एम.बी. राजेश कहते हैं कि ''भोजन की कमी, स्वास्थ्य सेवा की जरूरतें, आय का अभाव और आवास की कमी से जुड़े तनाव के कारक'' इसके प्रमुख मानदंड थे. उन्होंने बताया कि उन 64,006 परिवारों में से लगभग 4,421 परिवारों के एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो गई थी और 261 घुमंतू परिवारों का पता नहीं चल पाया. राजेश ने इंडिया टुडे को बताया कि 'हर परिवार के लिए' विशेष 'सूक्ष्म योजनाएं' तैयार की गईं. एलएसजी की विशेष सचिव टी.वी. अनुपमा ने बताया कि इन योजनाओं में भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, जॉब कार्ड और बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों से जुड़े अल्पकालिक से लेकर दीर्घकालिक प्रावधान शामिल थे.

मगर, कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने इस दावे को नवंबर-दिसंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर रचा गया 'धोखा और पब्लिसिटी स्टंट' करार दिया. उन्होंने पूछा, ''सबसे गरीब तबके वाले अंत्योदय अन्न योजना के 5,90,174 कार्डधारकों का किसने उन्मूलन कर दिया? और केवल 60,006 परिवारों को ही क्यों चुना गया?'' कई आदिवासी एक्टिविस्ट भी इस दावे पर अविश्वास जताते हैं. आदिवासी महिला संगठन की के. अम्मिनी कहती हैं, ''हम अब भी गरीबी में जी रहे हैं. राज्य ने इस खिताब पर दावा जताने के लिए शायद काफी रकम खर्च की हो मगर हजारों आदिवासी बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, और हमारे सैकड़ों परिवारों के पास अब भी अच्छे आवास नहीं हैं.''

खास बातें

- केरल का कहना है उसने चरम गरीबी का उन्मूलन कर दिया.
- विपक्ष को इस दावे पर संदेह है.
- आशा कार्यकर्ताओं के 266 दिन के प्रदर्शन से पिनराई की छवि खराब.

कई अन्य लोग इस दावे का जश्न मना रहे हैं. मशहूर उपन्यासकार बेंजामिन कहते हैं, ''यह गौरव का पल है. कुछ संशयवादी समाज विज्ञानी या तो विपक्ष को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस पूरी प्रक्रिया से बेखबर हैं.'' मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि विपक्ष इस ऐतिहासिक पल पर तुच्छता दिखा रहा है. शायद उन्हें थोड़ी तसल्ली देने के लिए भारत में चीन के राजदूत शू फेइहांग ने एक्स पर केरल को बधाई दी. मगर यह पूरी बहस का महज एक पहलू है. गरीबी खुद में एक ऐसी अवस्था है जो एक निश्चित सीमा के बाद ही नजर आती है, और केरल में अभाव के अन्य रूप मौजूद हैं.

संकट में सखियां

आशा कार्यकर्ताओं का 266 दिनों तक चला बड़ा आंदोलन इसकी मिसाल है. इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अन्य चीजों के साथ उनका 7,000 रुपए का मानदेय तीन गुना बढ़ाया जाए. कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार, 1 नवंबर को पिनाराई सरकार झुकी और गरीब महिलाओं के लि... करोड़ रुपए के चुनावी पैकेज ... उनके लिए भी 1,000 रुपए व... बढ़ोतरी का ऐलान किया.

प्रदर्शनकारी उत्साहित होकर ... और उन्होंने जिला स्तर पर भी विरोध-प्रदर्शन करने का प्रण लिया. मगर वडकारा की विधायक और मारे गए मार्क्सवादी विद्रोही टी. पी. चंद्रशेखरन की पत्नी के.के. रेमा ने घटना को केरल के आदर्श कल्याणकारी छवि पर एक 'स्थायी काला धब्बा' करार दिया. रेमा अब चंद्रशेखरन की ओर से स्थापित सीपीएम के एक अलग गुट की अगुआ हैं.

आंशिक तौर पर इसकी वजहें वित्तीय थीं. मगर, इसकी एक और वजह यह थी कि वे प्रदर्शनकारी अति-वामपंथी संगठन 'सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया' (एसयूसीआइ) से जुड़े थे.

कोविड-19 संकट के दौरान पिनाराई ने केरल की 26,125 आशा कार्यकर्ताओं को 'उम्मीद की देवदूत (ऐंजल्स ऑफ होप)' कहा था. इन विरोध-प्रदर्शनों की अहम अगुआ ए. मिनी कहती हैं, ''अब सरकार समर्थक साइबर लड़ाके हमारा मजाक उड़ा रहे थे. मगर हम किसी की दासी नहीं हैं और हमें अपने रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता.'' जाहिर है, केरल विडंबनाओं से कभी अछूता नहीं रहा है.■

एपआइ

हक की हिस्सेदारी 27 फीसदी आरक्षण के लिए ओबीसी महासभा की एक रैली; मुख्यमंत्री मोहन यादव (इनसेट)

▶ मध्य प्रदेश

फिर आरक्षण की पहेली

रकार का ओबीसी आरक्षण पर रुख स्पष्ट. लेकिन इससे परिक समर्थक वर्ग में बेचैनी

न्हा

अब क्या जाति-आधारित आरक्षण योग्यता खत्म कर देता है या भविष्य में योग्यता का निर्माण करता है? यह इस पर निर्भर करता है कि आप सवाल किससे पूछते हैं, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि जब भी नया आरक्षण लागू होता है, तो वह समाज और राजनीति दोनों के लिए संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है. सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में अगर मोहन यादव सरकार का रुख ऐसा ही रहता है तो मध्य प्रदेश भी एक ऐसे मोड़ पर होगा. दरअसल, यह अप्रत्याशित नहीं है जो सभी दल नौकरी और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसद किए जाने का समर्थन कर रहे हैं. इसके साथ ही यह भी अनहोनी बात नहीं कि कुछ छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं.

लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा ऊहापोह में फंसी है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राज्य ने इसमें बढ़ोतरी के समर्थन में तर्क दिए हैं, इससे अगड़ी जातियों—जो भाजपा का पारंपरिक आधार है—में नाराजगी आ रही है. सामाजिक लिहाज से बात करें तो ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में विद्वेष के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जहां जातिगत पहचान सबसे ज्यादा गहरी है. यादव के मामले में एक अतिरिक्त नाजुक पहलू है. वे खुद इस बात की मिसाल हैं कि कैसे राज्य में प्रमुख दल नेतृत्व की भूमिका में ओबीसी समर्थन की पैरवी करते हैं.

वोट पर नजर

यह कांग्रेस ही थी जिसने सबसे पहले इस नीति के जरिए ओबीसी की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी और उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मार्च 2019 में, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, इसकी घोषणा की थी. इसके बावजूद चुनाव नतीजों में ओबीसी समूहों ने कांग्रेस को कोई खास तवज्जो नहीं दी. लेकिन पार्टी इस कदम का बचाव करती रही और अभी भी इसका श्रेय लेने के लिए संभावित दावेदार बनी हुई है. जो भी हो, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राहुल गांधी के पूरी तरह ताकत लगाने से यह खतरा और बढ़ जाता है. इसलिए इस मामले में यादव का आगे आना समझदारी भरा कदम था.

उन्होंने अगस्त में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, फिर वहां बनी आम सहमति के आधार पर सरकार शीर्ष अदालत पहुंची. आरक्षण का यह मामला 2019 में शुरू हुआ जब कमलनाथ की नीति के तुरंत बाद छात्रों के एक समूह—अशिता दुबे और अन्य—ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दे दी. उनका आधार यह था कि इससे 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित 50 फीसद सीमा का उल्लंघन होगा. अभी अंतिम फैसला आना है मगर अदालत ने आदेश दिया कि मेडिकल पीजी परीक्षा में आरक्षण का पुराना स्तर ही जारी रहेगा.

इस साल जनवरी में, मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैत ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को मिलाने का फैसला किया. राज्य सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिकाएं दायर कर दीं.

CamScanner